न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर।

उपस्थित :– धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0जे0एस0)

JOCode UP 2002

दाण्डिक निगरानी संख्या :– 91/2026

CNRNo. UPGH010017362026

आलोक यादव पुत्र पन्ना लाल यादव, निवासी ग्राम मन्डप्पा देवकली, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर।

––निगरानीकर्ता

प्रति

1–उत्तर प्रदेश सरकार बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी गाजीपुर।

2–सिन्धु गुप्ता पुत्र स्व0 अमरनाथ गुप्ता ग्राम बभनौली, हंसराजपुर, थाना शादियाबाद, जनपद गाजीपुर।

––विपक्षी

–: निर्णय :–

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गाजीपुर द्वारा अपराध संख्या 14/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 190(1), 115(2), 352, 333, 74, 76, 329(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7/27/30 आयुध अधिनियम, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर के मामले में निरूद्ध निगरानीकर्ता का वाहन पंजीयन संख्या UP 61 AN 0998 को आवेदक/निगरानीकर्ता के पक्ष में अवमुक्त किये जाने सम्बन्धित प्रार्थनापत्र दिनांक 17–04–2026 को निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– इस निगरानी से सम्बन्धित मुख्य तथ्य यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता आलोक यादव ने प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि वह मोटरसाईकिल सुपर स्पलेण्डर वाहन UP 61 AN 0998 का वैधानिक स्वामी है, उसकी गाड़ी को पुलिस थाना शादियाबाद ने थाने में बंद कर दिया है। अतएव वाहन उसके पक्ष में अवमुक्त किया जाए।

3– विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पर थाना शादियाबाद से आख्या आहूत की। संबंधित थाने की आख्या के अनुसार उक्त वाहन पंजीयन संख्या UP 61 AN 0998 मुकदमा अपराध संख्या 14/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 190(1), 115(2), 352, 333, 74, 76, 329(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7/27/30 आयुध अधिनियम, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर के मामले में थाना परिसर में खड़ी है। विद्वान विचारण न्यायालय ने उपरोक्त वाहन को अवमुक्त करने सम्बन्धित प्रार्थनापत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त कर दिया कि कार्यालय लिपिक की आख्यानुसार उपरोक्त अपराध से संबंधित समस्त अभियुक्तों की जमानत अभी तक नहीं हुई है।

4– निगरानीकर्ता ने अपने निगरानी में मुख्य रूप से यह आधार लिया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश अनियमित एवं अवैधानिक तौर पर पत्रावलीपर उपलब्ध साक्ष्य सबूत के प्रतिकूल सरसरी तौर पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है। इस मुकदमें में अभियुक्त अखिलेश यादव की जमानत हो चुकी है। निगरानीकर्ता उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा पंजीयन प्रमाणपत्र एवं वाहन के अन्य कागजात भी वैध है। उसका वाहन थाने में खुले आसमान के नीचे खड़ा है जिससे उसके क्षतिग्रस्त होने की पूर्ण सम्भावना है।

5– विपक्षी उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से निगरानी के विरूद्ध लिखित रूप से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी, मौखिक रूप से आपत्ति की गयी। कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6– निगरानीकर्ता की ओर से प्रश्नगत आदेश की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 5–ब/1 लगायत 5–ब/2 प्रस्तुत किया गया है।

7– मैनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

8– विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता/आवेदक आलोक यादव का वाहन अवमुक्ति का प्रार्थनापत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उक्त अपराध में अभी सभी अभियुक्तगणों की जमानत नहीं हुई है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त वाहन के मूल पंजीयन प्रमाणपत्र को न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन पंजीयन संख्या UP 61 AN 0998 का पंजीकृत स्वामी आलोक यादव पुत्र पन्ना लाल यादव, निवासी ग्राम मन्डप्पा देवकली, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर को होना दर्शाया गया है। थाने की आख्यानुसार उक्त वाहन का उपयोग उपरोक्त अपराध में किया जा रहा था तथा उक्त वाहन को उपरोक्त वर्णित अपराध में थाने में निरूद्ध होना बताया गया है।

9– प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता को वाहन पंजीयन संख्या UP 61 AN 0998 का पंजीकृत स्वामी होना कहा गया है तथा निगरानीकर्ता द्वारा वाहन का मूल पंजीयन प्रमाणपत्र भी न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वाहन का अन्य कोई दावेदार होना नहीं कहा गया है। इस प्रकरण में प्रश्नगत वाहन थाने में लम्बे समय से निरूद्ध है तथा खुले आसमान के नीचे वाहन खड़ा रहने से उसके कल पुर्जों के खराब होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत होना नहीं कहा जा सकता।

विधि व्यवस्था विश्वजीत डे बनाम आसाम राज्य ए0आई0आर0 2025 सुप्रीम कोर्ट 549 में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई वाहन किसी अपराध में संलिप्तता के आधार पर जब्त की जाती है लेकिन उसके स्वामी की संलिप्तता उक्त अपराध में नहीं पायी जाती है और वाहन पुलिस की कस्टडी में हो, वैसी स्थिति में वाहन को उसके स्वामी के पक्ष में अवमुक्त कर देना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि **सुन्दरभाई अम्बालाल देसाई बनाम स्टेट आफ गुजरात 2003 एस0सी0सी0(3)1943 में** यह व्यवस्था दी गयी है कि ऐसे मामले में जहां माल मुकदमे को पुलिस अभिरक्षा में काफी समय तक रखने पर नष्ट होने का खतरा हो वहां अधिक समय तक माल के पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। निर्मुक्ति प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और परिस्थितियों के अनुरूप कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे मामले में मजिस्ट्रेट को दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानों के अन्तर्गत माल निस्तारण का ऐसा उचित आदेश यथाशीघ्र पारित करना चाहिए जिससे माल को नष्ट/खराब होने से बचाया जा सके।

10– प्रस्तुत मामले में भी निगरानीकर्ता उक्त अपराध 14/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 190(1), 115(2), 352, 333, 74, 76, 329(3) भारतीय न्याय संहिता व धारा 7/27/30 आयुध अधिनियम, थाना शादियाबाद, जिला गाजीपुर में नामित नहीं है।

11– अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रश्नगत वाहन के रिलीज संबंधी प्रार्थनापत्र को, जो निरस्त किया गया है, वह विधिसम्मत नहीं है। फलस्वरूप प्रश्नगत आदेश निरस्त करते हुए उक्त के अनुसार निगरानी स्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता की प्रस्तुत फौजदारी निगरानी स्वीकार की जाती है। एतद्द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 17–04–2026 निरस्त किया जाता है। संबंधित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय में दिये गये सम्प्रेक्षण के प्रकाश में वाहन पंजीयन संख्या UP 61 AN 0998 के अवमुक्ति के बाबत पक्षकारों को सुनकर उचित आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

संबंधित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस निर्णय की प्रति संबंधित न्यायालय को नियत तिथि के पूर्व भेजना सुनिश्चित करें। संबंधित पक्ष दिनांक 11–06–2026 को सम्बन्धित न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित हों।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनांक : 05–06–2026

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।

दिनांक : 05–06–2026

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.05 09:55:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court